प्रकरण संख्या 45/2025 भेरा बनाम रामलाल व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23.05.2025 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सालेराकलॉ, तहसील मावली में आराजी नंबर 1082, 1083, 1085 से 1098, 1147 से 1157 कुल किता 27 रकबा 3.2291 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष धन्ना व पदमा दोनों सगे भाई थे। धन्ना के पुत्र किशना, जोरा व डूंगा हुए, जबकि पदमा के वारिस चतरा हुआ। साबिक आराजी नंबर 120/1 रकबा 3 बिस्वा, आ.चा. (कुंआ) के नये नंबर 1082 एवं साबिक आराजी नंबर 120/2 के नये नंबर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अंकित आराजी नंबर हैं। उक्त साबिक खसरा नंबर के मूल आराजी नंबर 120 होकर तत्कालीन समय में अर्थात वर्ष 1985 में मूल खातेदार केसरसिंह वल्द खूमसिंह राजपूत थे। तत्पश्चात उक्त कृषि भूमि तत्कालीन समय में अर्थात संवत् 2021 में किशना, जोरा, डूंगा पिता धन्ना 1/2, चतरा पिता पदमा 1/2 हिस्से से संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही होकर मूल खसरा नंबर की कृषि भूमि विभाजित हो उपर वर्णित साबिक खसरा नंबर की भूमि दर्ज हुई एवं उक्त साबिक खसरा नंबर की भूमि संवत् 2024 से 2027 की जमाबन्दी में कालू वल्द किशना, लोगरिया वल्द जोरा, डूंगा पिता धन्ना 1/2 तथा चतरा वल्द पदमा 1/2 दर्ज है। जबकि वक्त सेटलमेन्ट उक्त साबिक खसरा नंबर की भूमि संवत् 2030 में पुनः राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से मुझ वादी एवं प्रतिवादी के मूल पुरूष कालू पिता किशना 1/4, लोगरिया, भग्गा पिता जोरा 1/4, उदा, वेणा, भेरा पिता चतरा 1/4 व डूंगा पिता धन्ना 1/4 हिस्सा अनुसार दर्ज कर दी, जबकि उदा, वेणा, भेरा पिता चतरा 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था, जिसके कारण वर्तमान में मुझ प्रार्थी के खाते में कम भूमि दर्ज है, जबकि 1/6 हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि विपक्षीगण के पूर्वजों के नाम गलत दर्ज हो जाने से भूमि विक्रय, हस्तान्तरण करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।<br><br>अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक [illegible]2024 को निर्णय पारित | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:14 IST
Reason: SelfAttested

करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05.09.2024 को प्रस्तुत की गई है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.12.2024 को अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी, जो न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 09.04.2025 को पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश दिया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश गोपावत उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत की जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2024 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 05.09.2024 को प्रस्तुत कर दी गयी है, जो 60 दिवस के भीरत अर्थात समयावधि में ही प्रस्तुत हुई है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि सेटलमेन्ट के दौरान उदा व वेणा के वारिसान का 1/4 हिस्सा गलत रूप से अंकित कर दिया गया है, जबकि उनका 1/2 हिस्सा पूर्व में उनके पूर्वाधिकारी चतरा जी के नाम दर्ज था, जिसे प्रार्थी पुनः दर्ज कराने का अधिकार है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। यदि विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जाता है तो वे भूमि को आगे विक्रय हस्तान्तरण कर देंगे, जिससे वाद की बाहुल्ता बढ़ेगी। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा [illegible] रेस्पोडेन्ट को

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:14 IST
Reason: SelfAttested

जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तो पाया कि प्रार्थी/अपीलान्ट का घोषणा का दावा इस आधार पर विचाराधीन है कि सेटलमेन्ट के दौरान के पूर्व के 1/2 इन्द्राज को 1/4 कर दिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षीगण अपने नाम अंकित कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बेह, बक्षीस या हस्तान्तरण नहीं करें व मोके तथा रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अपीलान्ट वादी का विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा है अथवा 1/4 इस निर्धारण तो वाद में साक्ष्यों के आधार पर ही होगा, किन्तु यदि दौराने वाद भूमि का अंतरण हो जाता है तो वाद की बाहुल्ता बढेगी। यह सही है कि रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, परन्तु इस संबंध में आर. आर.डी. 1993 पेज 206 राधेश्याम बनाम लक्ष्मी नारायण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "In the case of a dispute amongst members of the family even a recorded khatedar can be restrained from selling or otherwise disposing or the land so that unnecessary litigation can by avoided." उक्त न्यायिक नजीर अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 45/2023 निर्णय दिनांक 19.07.2024 अपास्त किया जाता है तथा पक्षकारान को मूलवाद के निस्तारण तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:14 IST
Reason: SelfAttested